

## क्रिकेट

स्व. आर.एस. त्रिपाठी डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में दो मैचों का आयोजन

## रोमांचक मुकाबलों में भारत आर्मी और केएमसीसी विजयी



नवभारत, जबलपुर। सुरक्षा कर्मचारी युनियन इंटक खमरिया के तत्वावधान में आयोजित स्व. आर.एस. त्रिपाठी डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में दो रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहला मैच क्रिश्चियन बॉयज और भारत आर्मी के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मुकाबला केएमसीसी और बजरंग क्लब के बीच हुआ। पहले मैच में क्रिश्चियन बॉयज

ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत आर्मी ने निर्धारित 10 ओवरों में 7 विकेट खोकर 92 रन बनाए, जिसमें थॉमस ने 15 गेंदों पर 25 रनों की अहम पारी खेली। जवाब में क्रिश्चियन बॉयज की टीम 67 रन ही बना सकी और भारत आर्मी ने 25 रनों से जीत दर्ज की। थॉमस को मैच ऑफ द मैच चुना गया।

ये हुए शामिल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के

रूप में अनुज मिश्रा, अपूर्व श्रीवास्तव, अशोक सिंह, सचिन दुबे और मुकेश (मेडी) उपस्थित रहे। निर्णायक की भूमिका जसवंत, आनंद शर्मा, विद्यापति श्रीवास्तव, अपूर्व श्रीवास्तव, भूपेंद्र और निखिल यादव ने निभाई। इस दौरान युनियन के अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें आनंद शर्मा, राकेश शर्मा, राकेश

रंजन, अखिलेश पटेल, अनिल आशीष माहोर सहित अन्य गुप्ता, टी. रोबिन, जितेंद्र पांडे, शामिल थे।

## बजरंग क्लब की टीम 60 रन ही बना सकी

दूसरे मैच में केएमसीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 7 विकेट पर 85 रन बनाए। टोनी ने 12 गेंदों में 30 रनों की तेज पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए बजरंग क्लब की टीम 9 विकेट खोकर 60 रन ही बना सकी। केएमसीसी ने यह मुकाबला भी 25 रनों से जीत लिया। बजरंग क्लब के दिनेश दास ने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए। इस मैच के मैच ऑफ द मैच टोनी रहे।

## बालाघाट में चमके शहर के होनहार खिलाड़ी

राज्य स्तरीय पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते स्वर्ण पदक



नवभारत, जबलपुर। बालाघाट में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय सौनियर, सब जूनियर एवं जूनियर पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मारुति हेल्थ क्लब के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। पुरुष वर्ग में अनुराग बेन, आनंद पटेल और यश वर्धन राजपूत ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि चेतन चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में सीमा लोधी ने स्वर्ण पदक के साथ मध्य प्रदेश जूनियर स्ट्रिंग वुमन का खिताब अपने नाम किया। इन सभी खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस उपलब्धि पर

राजेश तिवारी, शशि दुबे, एस. तेंदुले, संजय बिल्लौर, मोहन चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पॉवर लिफ्टर शशांक जोशी एवं क्लब संचालक रजक, अब्दुल हाफिज, मनी करुणा पटेल ने हर्ष व्यक्त किया।

## स्पेशल ओलंपिक बोलिंग नेशनल चैंपियनशिप में अतुल ने जीता रजत पदक



की कामना की। प्राचार्य राकेश शर्मा, सचिन प्रजापति और पुष्पेंद्र कुशवाहा सहित सभी शिक्षकों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

नवभारत, जबलपुर। दिल्ली में 19 से 24 अप्रैल तक आयोजित स्पेशल ओलंपिक भारत की बोलिंग नेशनल चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश दल का प्रतिनिधित्व करते हुए विकलांग सेवा भारती, स्नेह नगर के खिलाड़ी अतुल साहू ने मिक्सड डबल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया। इस दल में कोच कपिल दीक्षित भी शामिल रहे। इस उपलब्धि पर संस्था की सचिव मिताली बेनर्जी ने अतुल साहू और कोच कपिल दीक्षित को बधाई देते हुए उज्वल भविष्य की कामना की। प्राचार्य राकेश शर्मा, सचिन प्रजापति और पुष्पेंद्र कुशवाहा सहित सभी शिक्षकों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

## शराब दुकानों पर क्यूआर कोड का 'डिजिटल पहल'

क्यूआर कोड चस्पा नहीं करने वाले लायसंसियों पर गिरेगी गाज

नवभारत, बालाघाट। प्रदेश की मदिरा दुकानों पर हो रही मरामती वसूली और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए अब तकनीक और सख्ती करने का निर्णय लिया है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कई जिलों में शराब की दुकानों पर न केवल अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा के चलते न्यूनतम विक्रय मूल्य एमआरपी से कम पर भी मदिरा बेची जा रही है। इस गंभीर अनियमितता को विभागीय निर्देशों की खुली अवहेलना मानते हुए आबकारी आयुक्त श्री दीपक सक्सेना ने अब हर मदिरा दुकान पर 'क्यूआर कोड' चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी, जिससे वे मौके पर ही अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर ब्रांड की वास्तविक और कानूनी दरों का सत्यापन कर सकेंगे।

अब हर मदिरा दुकान पर ई-आबकारी पोर्टल द्वारा जनरेट क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य है। इसे स्कैन करते ही उपभोक्ता के मोबाइल पर संबंधित जिले की रेट लिस्ट खुल जाएगी। कोई दुकान संचालक यदि निर्धारित एमआरपी से कम या एमआरपी से ज्यादा पर विक्री करता है, तो मध्यप्रदेश राजपत्र को कॉडिका 21.2 एवं 21.3 के तहत उसके विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।



उपभोक्ता अब सीधे मौके पर ही रेट का मिलान कर सकेंगे। यह कदम उपभोक्ताओं को पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से जिला अधिकारियों को विशेष क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें दुकानों के प्रमुख हिस्सों पर लगाया होगा। कोई लायसेंसि यदि इन नियमों की अनदेखी करता है या निर्धारित दरों से अलग विक्री करता पाया जाता है, तो उसे भारी दंड का सामना करना पड़ेगा। मदिरा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी पारदर्शिता को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश भर में 28 अप्रैल 2026 से 7 मई 2026 तक एक विशेष 10 दिवसीय जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 11 मई तक अनिवार्य रूप से तलब की गई है। मदिरा दुकानों पर विक्रय मूल्यों के सत्यापन हेतु चस्पा किये जाने वाले क्यूआर कोड सम्बन्धी निर्देशों में कहा गया है कि क्यूआर कोड को ए-3 आकार के स्टिकर पेपर पर प्रिंट कराया जाये। पेपर न्यूनतम 250 जीएसएम की गुणवत्ता का होना चाहिए।

## महिलाओं को दी यातायात नियमों की जानकारी

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने विशेष अभियान जारी

नवभारत, जबलपुर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु पुलिस परिवहन शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेशभर में 26 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के



तहत पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत्त उपाध्याय के निर्देश पर शैक्षणिक संस्थानों में यातायात जागरूकता कार्यक्रम एवं सोशल

फाउंडेशन द्वारा महिला कर्मियों हेतु सड़क सुरक्षा, यातायात जागरूकता एवं महिला सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रिटायर्ड डीएफपी सुनील नेमा की पहल पर हुआ, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों के साथ-साथ महिला सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।



## अवैध रूप से भंडारित देशी और विदेशी शराब की गई जब्त

चिल्हारी नवभारत 29 अप्रैल। नंदोलाल एवं संतराम, बकेली उमरिया में आरोपिया रामलली चौधरी एवं रागिनी रजक, सिगुड़ी में सत्येन्द्र पटेल परासी से लल्लू सिंह तथा ग्राम दमोय में आरोपियों नीता प्रजापति एवं प्रेम बाई के कब्जे से अवैध मदिरा जब्त की गयी।

अवैध शराब के विरुद्ध सतत् अभियान अभियान चलाए जाने के निर्देश कलेक्टर राखी सहाय द्वारा आबकारी विभाग को दिए गए हैं। निर्देश के परिपालन में जिला

आबकारी अधिकारी उमरिया सावित्री भगत के मार्गदर्शन में मदिरा के अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान अमरपुर हाइवे स्थित भाई ढाबा के संचालक जहीर खान के कब्जे से देशी व विदेशी मदिरा, रामखेलावन जायसवाल बच्चा, ग्राम सेमरा इसी प्रकार वृत्त उमरिया अन्तर्गत सिंह ढाबा संचालक आकाश कुकरेजा, गगन ढाबा विपिन गुप्ता, कौशल यादव के कब्जे से अवैध मदिरा जब्त की गई।

## एक ही फ्रेम में दिखे बाघ व मोर

चिल्हारी नवभारत 29 अप्रैल। जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवाड़ टाइगर रिजर्व में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। यह नजारा न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास है, बल्कि प्रकृति की अनोखी संतुलन व्यवस्था को भी दर्शाता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बांधवाड़ टाइगर रिजर्व के ताला जोन का है, जो अपने समृद्ध जैव विविधता और बाघों की सक्रियता के लिए जाना

जाता है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बाघ बेहद शांत अंदाज में जंगल के रास्ते पर टहलता

हुआ नजर आ रहा है। वहीं, कुछ दूरी पर एक मोर भी बेफिक्र होकर घूमता दिखाई देता है। इसका वीडियो पर्यटकों ने बनाया है, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और वन्यजीव प्रेमियों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। बाघ और मोर का एक साथ इस तरह दिखना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर जंगली जानवर एक-दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं।

## मलेरिया से बचाव ही उपचार का दिया संदेश

नवभारत, कटंगी 29 अप्रैल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप एवं जिला मलेरिया अधिकारी एस जुनेजा के मार्गदर्शन तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विनोद भलावी के कुशल निदर्शन में शनिवार को वीर शिवाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मलेरिया निरीक्षक जीआर भलावी द्वारा मलेरिया के कारण, लक्षण एवं बचाव-उपचार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

## न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला जबलपुर

रा.प्र.क्रं./92/अ-6/2025-26 पाटन दिनांक:- 21/04/2026

आवेदक मनोज पिता टीकाराम निवासी पाटन तहसील पाटन जिला जबलपुर द्वारा इस न्यायालय में मौजा पाटन प.ह.न. 56 स.नि.म. पाटन तहसील पाटन जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 494/2/1 रकवा 0.1294 है। भूमि जोकि राजस्व रिकार्ड में संतोष, बती बाई, मुल्ली बाई पिता हरिराम, मुन्नी बाई बेवा टीकाराम, मनोज, बबलू पिता टीकाराम, पार्वती बाई बेवा पन्ना लाल, बट्टी, सोनू, मौजू पिता पन्ना लाल, बबली पिता पन्ना लाल, पार्वती बाई बेवा चेताराम, गीताबाई, हल्ली बाई पिता चेताराम जाति काछी के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम से दर्ज है। उपरोक्त सहकारियों में से बती बाई का निधन 03/08/2021 को, मुल्ली बाई का निधन 26/01/2016, पार्वती बाई का निधन 12.02.2017 एवं चाची पार्वती बाई का निधन 18.03.2019 एवं सोनू (अविवाहित रहा) का निधन 22.07.2021 को हो चुका है का फौती के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 06/05/2026 समय 11:00 बजे कायालीन समय पर स्थान तहसील कार्यालय पाटन में होना है अतः आपत्तिकर्ता या तो स्वयं या अपने अधिवाक या मान्य अधिकर्ता के माध्यम से नियत दिनांक को उपस्थित होकर आपनी आपत्तियां यदि कोई है पेश कर सकता है।

इस प्रकार पेशी पर उपस्थित न होने तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने में असफल होने की स्थिति में किसी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं प्रकरण में नियमानुसार फौती के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उद्घोषण आज दिनांक 21/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी की गई।  
जारी दिनांक-21.04.2026  
पेशी दिनांक-06.05.2026

तहसीलदार  
पाटन जबलपुर

अहंकार पीड़ित के शरीर पर उभरे बेल्ट के निशान सताधारियों के सुशासन की पोल खोल रहे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल

## भाजपा नेता की दबंगई, युवक को घर बुलाकर बेल्ट से पीटा



नवभारत उमरिया 29 अप्रैल। जिले के नौराजाबाद में सत्ता की हनक और पद का अहंकार इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि अब रसूखदार लोग आम जनता को कीड़े-मकौड़े समझने लगे हैं। ताजा मामला नौराजाबाद का है, जहां भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अमित गुप्ता पर एक स्थानीय युवक अतुल सोनी को घर बुलाकर जानवरों की तरह बेदम पिटाई करने का गंभीर

गलती से लग गया फोन, बदले में मिली बर्बरता घटना की पृष्ठभूमि किसी को भी झकझोर कर रख देने वाली है। बीती 25 अप्रैल की रात फरियादी अतुल सोनी के घर में मांगलिक कार्यक्रम कर रहा था। रात करीब 12-30 बजे अचानक बिजली गुल हो गई। शदी वाले घर में अंधेरा होने से परेशान अतुल ने आनन-फानन में बिजली विभाग के सब-स्टेशन को फोन लगाना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से नंबर भाजपा नेता अमित गुप्ता को लग गया। अतुल ने बिजली बंद होने पर अपनी स्वाभाविक नाराजगी जाहिर की, जो भाजपा नेता को नागवार गुजरी।

आरोप लगा है। पीड़ित के शरीर पर उभरे बेल्ट के निशान सताधारियों के उस सुशासन की पोल खोल रहे हैं, जिसका डिहोरा पीटा जाता है।

लेकिन सत्ता के मद में चूर नेता का दिल नहीं पसीजा। एक मित्र ने बीच-बचाव कर अतुल को वहां से निकाला। गनीमत रही कि एक मित्र ने बीच-बचाव कर अतुल को वहां से निकाला, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी। पीड़ित का आरोप है कि पिटाई के दौरान आरोपी बार-बार धमकी दे रहा था कि वह भाजपा का अध्यक्ष है और विधायक का खास आदमी है। उसने साफ लफ्जों में कहा कि तू कहीं भी शिकायत कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर लहलुहान और चोटों से कराहते हुए पीड़ित अतुल सोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर अपनी आपबीती सुनाई है। वीडियो में युवक की पीट और शरीर पर बेल्ट के नीले निशान साफ देखे जा सकते हैं, जो भाजपा नेता की क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अमित गुप्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

बचाव में भाजपा नेता का लचर तर्क मामले में जब आरोपी अमित गुप्ता से पक्ष लिया गया, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए हास्यास्पद तर्क दिया। अमित गुप्ता का कहना है कि युवक नशे में उनकी दुकान पर सिरपेट-गुटरखा मांगने आया था और धक्का-मुक्की के दौरान उसने खुद को

खुद ही चोट पहुंचा ली। हालांकि, शरीर पर बेल्ट के निशान खुद को खुद ही मार लेने वाली थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं।

क्षेत्र में आक्रोश, क्या होगा एक्शन नौराजाबाद में इस घटना को लेकर भारी जनाक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या भाजपा का पदाधिकारी होने का मतलब कानून को हाथ में लेना है? क्या विधायक का संरक्षण किसी को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे देता है? अब देखना यह है कि प्रशासन इस रसूखदार हमलावर पर सख्त कार्रवाई करता है या सत्ता के दबाव में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

## कार्यालय संग्रामीय अधिकारी

संग्रामीय अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर

पत्र क्र. 01/ग/प्र/2026/अ/88 (2025-26)

दिनांक-25.03.2026

## भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति अलका अम्बाला पति श्री पुरुषोत्तम अम्बाला ने भवन/भूखण्ड/खसरा क्र. एम आई जी 11 दि.टी.सी. 97-97 नि. 10004096319 वाई क्र. 16 वाई महाराण प्रसाद के पंजीकृत गृह स्वामी/कन्युट प्रविधि (अनुसू.) श्रीमति रामलली अम्बाला पति स्व. गोविंद दास अम्बाला के स्थान पर क्षेत्रफल भूखण्ड 1000 प्रथमल 600 आरसीसी शयथ पत्र/भूखण्ड प्रमाण पत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त पत्र नंबर पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है जिस किस्की को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संग्रामीय अधिकारी-01 गढ़ानगर निगम सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा अनधिकृत रूप से पत्र नंबर प्रस्तुतकर्ता का नाम कन्युट प्रविधि (अनुसू.) में अंकित कर दिया जावेगा। नामांतरण होने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

संग्रामीय अधिकारी

संग्रामीय अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर

## कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर

पत्र क्र.सं/संपदा/2026/PRO-110

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संग्रामीय अधिकारी-0241/अपील/2023-24 के अंतर्गत टॉसपोर्ट नंबर के भूखंडधारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर माननीय न्यायालय द्वारा निराकरण का विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसके परिपालन में उक्त प्रकरण के लीज नवीनीकरण की कार्यवाही नगर निगम जबलपुर द्वारा की जा रही है। लीज नवीनीकरण किये जाने वाले 6 प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	भूखंड क्र.	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	फर्म का नाम	पट्टेधारी का नाम	लीज अवधि
1	ए-7	150	-	मो. अमीन पिता श्री मो.हनीफ	29/08/1992 से 08/08/2022 तक
2	ए-50	150	-	मो. सलीम पिता मो.हनीफ	29/08/1992 से 08/08/2022 तक
3	ए-82	150	-	श्री श्री हरमिन्दर सिंह सैनी पिता अजमेर सिंह सैनी	29/12/1992 से 08/12/2022 तक
4	डी-13	1200	-	श्री अरविन्द जैन पिता श्री नरयु लाल जैन	29/12/1992 से 08/12/2022 तक
5	एच-14	300	मेसेस अतुल आठो मोबाहल्स	श्री श्री विजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री केलाला नाथ शर्मा	29/08/1992 से 08/08/2022 तक
6	आई-72	80	अहफाज मोटर गैरिज	श्री अहमज खान पिता स्व. हफीज खान	29/12/1992 से 08/12/2022 तक

अतः सूची में वर्णित लीज भूखंड विशेष के संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो, तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर कम्परा नंबर 23 संघदा शाखा में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संघदा अधिकारी  
नगर निगम जबलपुर